न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 18/589

कपूर चन्द आत्मज श्री गणेश जाति भाट निवीस झालीजी का बराना तहसील, के0 पाटन जिला बून्दी ।

——अपीलान्ट

बनाम

1. गोरधन आत्मज श्री गणेश जाति भाट निवासी झालीजी का बराना तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
2. श्री किशन आत्मज भोजा जाति प्रजापत निवासी झालीली का बरना तहसील के0 पाटन जिला बून्दी (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   2/1. छीतर आत्मज श्री किशन जाति प्रजापत निवासी झालीजी का बराना तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
3. गजानन्द आत्मज श्री भोजा जाति प्रजापत निवी झालीजी का बराना तहसील के0 पाटन जिला बून्दी (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   3/1. सीताराम उर्फ छीतरलाल आत्मज श्री गजानन्द जाति प्रजापत निवासी झालीजी का बराना तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
4. कंचन बेवा गोपाल जाति भाट निवासी झालीजी का बराना तहसील के0 पाटन जिला बून्दी
5. शिवशंकर आत्मज गोपाल जाति भाट निवासी झालीजी का बराना तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
6. महेन्द्र आत्मज गोपाल जाति भाट निवासी झालीजी का बराना तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
7. मकडू आत्मज गोपाल जाति भाट निवासी झालीजी का बराना तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
8. मच्छर आत्मज गोपाल जाति भाट निवासी झालीजी का बराना तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
9. मनोज आत्मज गोपाल जाति भाट निवासी झालीजी का बराना तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
10. महावीर आत्मज गोपाल जाति भाट निवासी झालीजी का बराना तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
11. कान्ति बाई पुत्री गोपाल जाति भाट निवासी झालीजी का बराना तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
12. प्रेम बाई पुत्री गोपाल जाति भाट निवासी झालीजी का बराना तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
13. लक्ष्मी बाई पुत्री गोपाल जाति भाट निवासी झालीजी का बराना तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
14. राममूर्ति पत्नी मोडूलाल जाति मीणा निवासी झालीजी का बराना तहसील के0, पाटन जिला बून्दी ।
15. राजस्थान राजय सरकार जरिये तहसीलदार, के0 पाटन जिला बून्दी ।

——रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री राजेन्द्र जैन, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री संजय पाटौदी, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 5, 12, एवं 13 की ओर से ।
3. श्री दुर्गालाल गोचर, अभिभाषक, रेस्पोडेन्टगण की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 03.10.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, के0 पाटन जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.06.2008 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत एक वाद खातेदारी अधिकार घोषणा का प्रस्तुत कर कथन किया कि गोरधन, गोपाल, कपूरचन्द पिसरान गणेश कौम भाट निवसी झालीजी का बराना तहसील के0 पाटन के रहने वाले हैं । जिसके खातेदारी में में 28 बीघा 01 बिस्वा भूमि है । जिसमें खसरा नम्बर 1291 रकबा 15 बीघा 06 बिस्वा, खसरा नम्बर 1299 रकबा 01 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 1396 रकबा 11 बीघा 04 बिस्वा है । इसमें से गोपाल के हिस्से में आई भूमि आराजी खसरा नम्बर 1291 रकबा 15 बीघा 06 बिस्वा, खसरा नम्बर 1299 रकबा 01 बीघा 11 बिस्वा इस प्रकार कुल 16 बीघा 17 बिस्वा को सन् 1978 में जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से महेन्द्र जी आत्मज रामस्वरूप जैन निवासी झालीजी का बराना को विक्रय कर चुका है । शेष खसरा नम्बर 1396 रकबा 11 बीघा 04 बिस्वा वादी के हिस्से व कब्जे की है और यही भूमि वादी के बंटवारे में आई थी जिस पर वह काश्तकारी करता चला आ रहा है । रजिस्ट्री कराते वक्त वादी ने व गोरधन तथा गोपाल सभी ने दस्तखत किये थे क्योंकि खसरा विशेष का एक सहखातेदार विक्रय नहीं कर सकता किन्तु उक्त विक्रय की राशि स्वयं गोपाल ने ही प्राप्त की है क्योंकि उसके ही हिस्से का विक्रय हुआ है । इस आशय की तहरीर भी उसी दिन तहरीर की गई। शेष आराजी जो 11 बीघा 04 बिस्वा वादी की है उसमें भी तीनों का नाम रहा है इसमें से गोरधन जी ने श्री किशन गजानन्द पिसरान भोजा प्रजापत को विक्रय किया किन्तु विक्र का प्रतिफल स्वयं वादी ने लिया है क्योंकि उक्त भूमि वादी के हिस्से बंटवारे में आई है । स्वयं वादी ने भी 1/3 हिस्से का विक्रय प्रतिवादिनी संख्या 14 को कर दिया । इस प्रकार अब शेष 1/3 हिस्सा भी वादी कपूरचन्द को ही बंटवारे में मिला व कब्जे का है जिस पर काश्तकारी करता आ रहा है किन्तु अवैधानिक तरीके से 1/3 हिस्से पर गोपाल का नाम राजस्व रिकॉर्ड में चला रहा है । गोरधन जी अन्य किशोर जी के गोद चले गये थे इस कारण से उक्त भूमि में इसका हक व कब्जा नहीं है । खसरा नम्बर 1396 रकबा 11 बीघा 04 बिस्वा इसमें से 1/3 हिस्सा पर प्रतिवादी कम 2 व 3 का कब्जा है तथा शेष 2/3 हिस्सा वादी का है एवं काबिज है । किन्तु अवैधानिक रूप से गोपाल भी 1/3 हिस्से पर नाम अंकित है जबकि गोपाल तो अपनी भूमि विक्रय कर चुका है और उसका उक्त भूमि पर कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है । आराजी खसरा नम्बर 1396 रकबा 11 बीघा 04 बिस्वा के बाद बन्दोबस्त नये खसरा नम्बर 2263 रकबा 0.64 हैक्टर, खसरा नम्बर 2264 रकबा 1.17 हैक्टर कायम हुए हैं । उनमें वादी 1/3 हिस्से की रजिस्ट्री प्रतिवादी कम 14 के पक्ष में करा चुका है और अब भी गोपाल का नाम 1/3 हिस्से पर अंकित है जो राजस्व रिकॉर्ड से नाम हटाये जाने योग्य है ।

3. अतः वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 2263 रकबा 0.64 खसरा नम्बर 2264 रकबा 1.17 हैक्टर ग्राम झालीजी का बराना पर वादी को 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे व अंकित नाम गोपाल आत्मज गणेश का नाम खाते से विलोपित किया जावे अगर दौराने वाद फौती इंतकाल खुलकर प्रतिवादीगण कम 4 से 13 का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकित हो जावे तो उनका नाम भी राजस्व रिकॉर्ड से विलोपित किया जावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एंव डिक्री दिनांक 28.06.2008 के द्वारा वादी का वाद खारिज कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.06.2008 से व्यथित होकर वादी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत की जिसे न्यायालय हाजा ने अपने निर्णय दिनांक 02.03.2015 के द्वारा खारिज कर दिया । न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 02.03.2015 के खिलाफ रिव्यू प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसे न्यायालय हाजा द्वारा स्वीकार कर प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर की गई।

5. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई ।

6. दिनांक 25.04.2019 को पक्षकारान ने एक राजीनामा इस न्यायालय में उपस्थित होकर पेश किया । इस राजीनामे में यह कथन किया गया है कि अपीलान्ट और रेस्पोडेन्ट कम 1 व 4 लगायत 13 के मध्य राजीनामा हो गया है क्योंकि बची हुई जमीन में रेस्पोडेन्ट का कोई हिस्सा शेष नहीं रहा है । वह अपने हिस्से की जमीन पूर्व में बेचान कर चुके हैं । आराजी जो कि गोपाल के नाम है इसमें केवल अपीलान्ट के अधिकार निहित हैं उनका नाम दर्ज करने में हमे कोई आपत्ति नहीं है । इस राजीनामे पर दिनांक 25.04.2019 को अपीलान्ट कम 1/2 और अपीलान्ट कम 1/5 और रेस्पोडेन्ट कम 1 व 4 ने उपस्थित होकर इसे सही होना स्वीकार किया । पक्षकारान को उनके अभिभाषक ने तस्दीक किया । दिनांक 13.06.2019 को रेस्पोडेन्टगण कम 6, 7, 8, 9 व 10 ने उपस्थित होकर राजीनामे को सही होना स्वीकार किया है और उनकी पहचान उनके अभिभाषक के द्वारा की गई । दिनांक 23.07.2019 को अपीलान्ट कम 1/2 जमुनाशंकर, 1/5 रामनिवास उपस्थित हुए और रेस्पोडेन्ट कम 5 शिव शंकर और रेस्पोडेन्ट कम 12 प्रेमाबाई, रेस्पोडेन्ट कम 13 लक्ष्मीबाई उपस्थित हुई हैं । पक्षकारों की पहचान उनके अभिभाषक ने की । दिनांक 05.08.2019 अपीलान्ट संख्या 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8 व 1/9 उपस्थित हुए व रेस्पोडेन्ट कम 11 उपस्थित हुए । पक्षकारान को उनके अभिभाषक ने पहचान किया और उनके द्वारा राजीनामे को सही होना स्वीकार किया गया । दिनांक 08.08.2019 को रेस्पोडेन्ट कम 2/1 छीतर लाल और रेस्पोडेन्ट कम 14 उपस्थित हुए उनको उनके अभिभाषक ने पहचान की उनके द्वारा कथन किया कि छीतर लाल एवं सीताराम एक ही व्यक्ति का नाम है ।

7. राजीनामे पर विद्धान् अभिभाषक अपीलान्ट की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के द्वारा यह कथन किया गया है कि रेस्पोडेन्टगण के द्वारा पूर्व में अपने हिस्से की आराजी का विक्रय किया जा चुका है और शेष बची हुई आराजी अपीलान्ट के हिस्से की है। पक्षकारों में राजीनामा हो गया है । इस कारण आराजी का खातेदार अपीलान्टगण को घोषित किया जावे । उन्होंने अपने कथनों के समर्थन में डीएनजे 2000–01 (राज0) (सप्ली) पेज 245, डीएनजे 2013 (एससी) पेज 70, उद्धरत की ।

9. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा वादी कपूरचन्द ने हक घोषणा का पेश कर कथन किया था कि गोरधन, गोपाल एंव कपूरचन्द पिसरान गणेश के खातेदारी की आराजी झालीजी का बरना में स्थित है जिसके खसरा नम्बर 1291 रकबा 15 बीघा 06 बिस्वा, खसरा नम्बर 1299 रकबा 01 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 1396 रकबा 11 बीघा 04 बिस्वा है । इसमें से गोपाल के हिस्से में आई भूमि आराजी खसरा नम्बर 1291 रकबा 15 बीघा 06 बिस्वा, खसरा नम्बर 1299 रकबा 01 बीघा 11 बिस्वा इस प्रकार कुल 16 बीघा 17 बिस्वा को सन् 1978 में जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से महेन्द्र जी आत्मज रामस्वरूप जैन निवासी झालीजी का बराना को विक्रय कर चुका है, शेष खसरा नम्बर 1396 रकबा 11 बीघा 04 बिस्वा वादी के हिस्से व कब्जे की है और यही भूमि वादी के हिस्से एवं कब्जे में है । यह आराजी वादी को बंटवारे में प्राप्त हुई है जिस पर वह काश्त कर रहा है । रजिस्ट्री कराते समय वादी ने व गोरधन तथा गोपाल सभी ने दस्तखत किये थे क्योंकि खसरा विशेष का एक सहखातेदार विक्रय नहीं कर सकता किन्तु उक्त विक्रय की राशि स्वयं गोपाल ने ही प्राप्त की है क्योंकि उसके ही हिस्से का विक्रय हुआ है । इस आशय की तहरीर भी उसी दिन तहरीर की गई। शेष आराजी जो 11 बीघा 04 बिस्वा वादी की ही उसमें भी तीनों का नाम रहा है इसमें से गोरधन जी ने श्री किशन गजानन्द पिसरान भोजा प्रजापत को विक्रय किया किन्तु विक्रय का प्रतिफल स्वयं वादी ने लिया है क्योंकि उक्त भूमि वादी के हिस्से बंटवारे में आई है । स्वयं वादी ने भी 1/3 हिस्से का विक्रय पत्र प्रतिवादिनी संख्या 14 को विक्रय कर दिया । इस प्रकार अब शेष 1/3 हिस्सा भी वादी कपूरचन्द को ही बंटवारे में मिली व वादी के कब्जे में है जिस पर काश्तकारी करता आ रहा है किन्तु अवैधानिक तरीके से 1/3 हिस्से पर गोपाल का नाम राजस्व रिकॉर्ड में चला रहा है । गोरधन जी अन्य किशोर जी के गोद चले गये थे इस कारण से उक्त भूमि में इसका हक व कब्जा नहीं है । खसरा नम्बर 1396 रकबा 11 बीघा 04 बिस्वा इसमें से 1/3 हिस्सा पर प्रतिवादी क्रम 2 व 3 का कब्जा है तथा शेष 2/3 हिस्से में से 1/3 पर वादी एवं 1/3 पर प्रतिवादी संख्या 14 काबिज है । किन्तु अवैधानिक रूप से गोपाल का भी 1/3 हिस्से पर नाम अंकित है जबकि गोपाल तो अपनी भूमि विक्रय कर चुका है और उसका उक्त भूमि पर कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है । आराजी खसरा नम्बर 1396 रकबा 11 बीघा 04 बिस्वा के बाद बन्दोबस्त नये खसरा नम्बर 2263 रकबा 0.64 हैक्टर, खसरा नम्बर 2264 रकबा 1.17 हैक्टर कायम हुए हैं । उनमें वादी 1/3 हिस्से की रजिस्ट्री प्रतिवादी क्रम 14 के पक्ष में करा चुका है और अब भी गोपाल का नाम 1/3 हिस्से पर अंकित है । अतः गोपाल का नाम राजस्व रिकॉर्ड से विलोपित किया जावे ।

10. पत्रावली पर नकल जमाबन्दी संवत् 2060–63 प्रदर्श– 1 संलग्न है जिसके अनुसार वादग्रस्त आराजी श्रीकिशन, गजानन्द पिसरान भोजा हिस्सा 1/3, गोपाल पिसरान गणेश हिस्सा 1/3, राममूर्ति पत्नी मोडूलाल हिस्सा 1/3 सहखातेदार दर्ज हैं । भू–प्रबन्ध विभाग का नोटिस प्रदर्श–2, नकल जमाबन्दी संवत् 2032–35 प्रदर्श– 3 संलग्न है जिसके अनुसार कुल 03 किता की 28 बीघा 01 बिस्वा भूमि गोरधन, गोपाल, कपूरचन्द पिसरान गणेश के खातेदारी में दर्ज है। नकल जमाबन्दी सवंत् 2045–48 संलग्न है जिसके अनुसार वादग्रस्त आराजी श्रीकिशन , गजानन्द पिसरान भोजा 1/3 व गोपाल, कपूरचन्द पिसरान गणेश हिस्सा 2/3 खातेदारी में दर्ज है । प्रदर्श– –4 तहरीर है जिसमें गणेश ने यह अंकित किया है कि 16 बीघा 17 मेरे हक की जमीन दिनांक 11.01.1978 को बेच दीनी है बाकी जमीन 11 बीघा 04 बिस्वा मेरे भाई कपूरचन्द्र के हिस्से की है इसमें मेरा व मेरे वारिसान का कोई हक नहीं है । मेरी जमीन की रकम खुद गोपाल लाल ने सेठ साहब रामस्वरूप जी वल्द लक्ष्मीनारायण जी से चुकती रकम

वसूल पायी । यह तहरीर मेने बिना नसे पते में लिखी है । परन्तु यह तहरीर अपंजीकृत है व अमुद्रांकित है, जिसके आधार पर अचल सम्पत्ति जिसकी कीमत 100/– रूपये से अधिक है में स्वत्व का अन्तरण नहीं किया जा सकता ।

11. हमने पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात एवं राजीनामे का अवलोकन किया । पेश किये गये राजस्व रिकॉर्ड नकल जमाबन्दी प्रदर्श – 1 के अनुसार वादग्रस्त आराजी कुल 02 किता की रकबा 1.81 हैक्टर श्रीकिशन, गजानन्द पिसरान भोजा हिस्सा 1/3, गोपाल पिसरान गणेश हिस्सा 1/3, राममूर्ति पत्नी मोडूलाल हिस्सा 1/3 दर्ज है । वादी के द्वारा गोपाल के कायममुकामान का नाम दर्ज होने के उपरान्त नयी जमाबन्दी की नकल पेश नहीं की है । दावे में यह कथन किया गया है कि 16 बीघा 17 बिस्वा भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र जो गोपाल के हिस्से में आई थी वो महेन्द्र आत्मज रामस्वरूप जैन को विक्रय की गई थी । शेष आराजी वादी के हिस्से में आई थी । सन् 1978 के विक्रय पत्र की प्रति भी पेश नहीं की गई है और दावे के अनुसार वादी एवं गोरधन और गोपाल सभी ने हस्ताक्षर किये हैं जो समस्त सहखातेदारान के द्वारा विक्रय किया जाना माना जावेगा । शेष बची हुई आराजी साबिक खसरा नम्बर 1396 के हाल खसरा नम्बर 2263 और 2264 बने हैं । दावे के अनुसार गोरधन ने श्रीकिशन, गजानन्द पिसरान भोजा को विक्रय किया इस विक्रय पत्र की प्रति पत्रावली पर पेश नहीं की गई है परन्तु राजस्व रिकॉर्ड में श्रीकिशन, गजानन्द हिस्सा 1/3 के सहखातेदार दर्ज हैं और वादी के स्वयं के कथनानुसार उनके 1/3 हिस्से की आराजी राममूर्ति को बेचान की है जिसके अनुसार राममूर्ति का नाम 1/3 हिस्सा एवं 1/3 हिस्सा गोपाल का नाम दर्ज है और राजीनामे के आधार पर गोपाल के हिस्से में दर्ज आराजी को वादी स्वयं अपने नाम दर्ज करवाना चाहता है ।

12. वादी ने अपने दावे में यह कथन किया है कि गोपाल अपने हिस्से की आराजी को विक्रय कर चुके हैं । इस कारण वादग्रस्त आराजी में उनका हिस्सा निहित नहीं है परन्तु उन्होंने अपने दावे में यह भी कथन किया है कि विक्रय पत्र पर तीनों सहखातेदारों के द्वारा हस्ताक्षर किये गये थे ऐसी स्थिति में यह विक्रय तीनों सहखातेदारों के द्वारा किया जाना माना जावेगा न कि किसी एक सहखातेदार के द्वारा । तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज गोपाल के 1/3 हिस्से को वादी के नाम बिना किसी विधिक दस्तावेज के दर्ज करने का आदेश इस राजीनामे के आधार पर जारी नहीं किया जा सकता है क्योंकि बिना किसी विधिक दस्तावेज के खातेदार का हिस्सा किसी व्यक्ति के नाम दर्ज करने का आदेश जारी नहीं किया किया जा सकता । तद्नुसार राजीनामा विधि मान्य नहीं होने से अपील बरूए राजीनामा स्वीकार किया जाना हम उचित नहीं समझते हैं । यदि रेस्पोडेन्टगण वादग्रस्त आराजी में दर्ज अपने 1/3 हिस्सा अपीलान्ट के नाम दर्ज करवाना चाहते हैं तो इस हेतु विधिक दस्तावेज निष्पादित कर सकते हैं ।

13. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.06.2008 बहाल रखा जाता है ।

14. निर्णय आज दिनांक 03.10.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

3/10/19

(भागवंती जेठवानी)

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 18/589

कपूर चन्द आत्मज श्री गणेश जाति भाट निवीस झालीजी का बराना तहसील, के0 पाटन जिला बून्दी ।

——अपीलार्थी

बनाम

1. गोरधन आत्मज श्री गणेश जाति भाट निवासी झालीजी का बराना तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
2. श्री किशन आत्मज भोजा जाति प्रजापत निवासी झालीली का बरना तहसील के0 पाटन जिला बून्दी (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   2/1. छीतर आत्मज श्री किशन जाति प्रजापत निवासी झालीजी का बराना तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
3. गजानन्द आत्मज श्री भोजा जाति प्रजापत निवी झालीजी का बराना तहसील के0 पाटन जिला बून्दी (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   3/1. सीताराम उर्फ छीतरलाल आत्मज श्री गजानन्द जाति प्रजापत निवासी झालीजी का बराना तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
4. कंचन बेवा गोपाल जाति भाट निवासी झालीजी का बराना तहसील के0 पाटन जिला बून्दी
5. शिवशंकर आत्मज गोपाल जाति भाट निवासी झालीजी का बराना तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
6. महेन्द्र आत्मज गोपाल जाति भाट निवासी झालीजी का बराना तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
7. मकडू आत्मज गोपाल जाति भाट निवासी झालीजी का बराना तहसील के0 पाटन जिला बून्दी
8. मच्छर आत्मज गोपाल जाति भाट निवासी झालीजी का बराना तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
9. मनोज आत्मज गोपाल जाति भाट निवासी झालीजी का बराना तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
10. महावीर आत्मज गोपाल जाति भाट, निवासी झालीजी का बराना तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
11. कान्ति बाई पुत्री गोपाल जाति भाट निवासी झालीजी का बराना तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।

प्रेम बाई पुत्री गोपाल जाति भाट निवासी झालीजी का बराना तहसील के0 पाटन जिला बून्दी
13. लक्ष्मी बाई पुत्री गोपाल जाति भाट निवासी झालीजी का बराना तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
14. राममूर्ति पत्नी मोडूलाल जाति मीणा निवासी झालीजी का बराना तहसील के0, पाटन जिला बून्दी ।
15. राजस्थान राजय सरकार जरियें तहसीलदार, के0 पाटन जिला बून्दी ।

––प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिकी दिनांक 28.06.2008 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, के0 पाटन जिला बून्दी ।

वाद संख्याः 28/दावा/2006

कपूर चन्द आत्मज श्री गणेश जाति भाट निवीस झालीजी का बराना तहसील, के0 पाटन जिला बून्दी ।

––वादी

बनाम

1. गोरधन आत्मज श्री गणेश जाति भाट निवासी झालीजी का बराना तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
2. श्री किशन आत्मज भोजा जाति प्रजापत निवासी झालीली का बरना तहसील के0 पाटन ।
3. गजानन्द आत्मज श्री भोजा जाति प्रजापत निवी झालीजी का बराना तहसील के0 पाटन ।
4. कंचन बेवा गोपाल जाति भाट निवासी झालीजी का बराना तहसील के0 पाटन ।
5. शिवशंकर आत्मज गोपाल जाति भाट निवासी झालीजी का बराना तहसील के0 पाटन ।
6. महेन्द्र आत्मज गोपाल जाति भाट निवासी झालीजी का बराना तहसील के0 पाटन ।
7. मकडू आत्मज गोपाल जाति भाट निवासी झालीजी का बराना तहसील के0 पाटन ।
8. मच्छर आत्मज गोपाल जाति भाट निवासी झालीजी का बराना तहसील के0 पाटन ।
9. मनोज आत्मज गोपाल जाति भाट निवासी झालीजी का बराना तहसील के0 पाटन।
10. महावीर आत्मज गोपाल जाति भाट निवासी झालीजी का बराना तहसील के0 पाटन ।
11. कान्ति बाई पुत्री गोपाल जाति भाट निवासी झालीजी का बराना तहसील के0 पाटन ।
12. प्रेम बाई पुत्री गोपाल जाति भाट निवासी झालीजी का बराना तहसील के0 पाटन ।
13. लक्ष्मी बाई पुत्री गोपाल जाति भाट निवासी झालीजी का बराना तहसील के0 पाटन ।
14. राममूर्ति पत्नी मोडूलाल जाति मीणा निवासी झालीजी का बराना तहसील के0, पाटन ।
15. राजस्थान राजय सरकार जरिये तहसीलदार, के0 पाटन जिला बून्दी ।

––प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, के0पाटन जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.06.2008 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है,' अर्थात... कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 03.10.2019 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री राजेन्द्र जैन एवं रेस्पोडेन्ट क्रम 05, 12 एवं 13 की ओर से अभिभाषक श्री संजय पाटौदी एवं अन्य रेपोडेन्ट की ओर अभिभाषक श्री दुर्गालाल गोचर के उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.06.2008 बहाल रखा जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 03.10.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

3/10/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा